



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126084

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 14813 वर्ष 2026

रहीस मलिक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अनुराग शुक्ला, तिवारी अजय कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तिवारी अजय कुमार, राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक की ओर से मुकद्दमा अपराध संख्या 69 वर्ष 2026, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस. अधिनियम) की धारा 8/20(बी)(ii)(सी)/23, पुलिस थाना वेव सिटी, जिला गाजियाबाद में पंजीकृत मामले में विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे छिपे हुए उद्देश्यों के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और सह-आरोपी रहीस मलिक के संयुक्त कब्जे से 5 किलोग्राम चरस बरामद होना बताया जाता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कथित बरामदगी दिनांक 15.03.2026 को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की गई है और नमूने दिनांक 17.03.2026 को लिए गए हैं और उन्हें दिनांक 23.03.2026 को विधि विज्ञान जांच (फॉरेंसिक जांच) के लिए भेजा गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-आरोपी राजू यादव को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 14818 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक दिनांक 15.03.2026 से जेल में निरुद्ध है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मुकदमों के भारी संख्या में लंबित होने के मद्देनजर, विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रामबाबू बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, **2025** एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. **1729** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसमें आवेदक को जमानत दी गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.09.2023 को दर्ज की गई थी लेकिन नमूने को 24 दिनों के विलंब के बाद विधि विज्ञान जांच के लिए भेजा गया था, जबकि कानून के अनुसार ऐसे नमूनों को जब्त के 72 घंटों के भीतर भेजा जाना आवश्यक है।
5. इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों के अनुसार, आवेदक और सह-आरोपी रहीस मलिक के संयुक्त कब्जे से 5 किलोग्राम चरस बरामद होना बताया जाता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कथित बरामदगी दिनांक 15.03.2026 को की गई है और नमूने दिनांक 17.03.2026 को लिए गए हैं और उन्हें दिनांक 23.03.2026 को विधि विज्ञान जांच के लिए भेजा गया है। आवेदक दिनांक 15.03.2026 से जेल में निरुद्ध है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
7. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने पर और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान तथा नदीम अहमद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **2025** लॉ सूट (एस.सी.) **1134 (2025 आई.एन.एस.सी. 993)** और भारत संघ बनाम शिव शंकर केसरी **(2007) 7 एस.सी.सी. 798** के मामले में प्रतिपादित विधि को भी ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त मुकद्दमा अपराध में संलिप्त आवेदक- रहीस मलिक को 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की दो प्रतिभुओं को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा-धमकाएगा नहीं।
 - (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले के खुलने, (ii) आरोप तय होने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
 - (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।
 - (v) आवेदक निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
9. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत प्रार्थना पत्र के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जाएगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होगा।

05 जून, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नीतू

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।